कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 1749 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026 रायपुर, दिनांक 02/11/26

//सूचना//

प्रवेश वर्ष 2026 - NEET UG (MBBS & BDS) पाठयक्रम के स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड काउंसिलिंग हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों के लिए संस्था चयन संबंधी

चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) द्वारा जारी समय–सारिणी दिनांक 02.11.2026 **(प्रति संलग्न)** के परिपालन में, प्रवेश वर्ष 2026 NEET UG के अंतर्गत स्ट्रे वैकेंसी राउंड में प्रवेश उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड आयोजित किया जाना है।

उक्तानुसार पात्र अभ्यर्थियों से नवीन पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन तथा पूर्व पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन संस्था चयन (Choice Filling) आमंत्रित किए जाते हैं। सभी आवेदक ऑन–लाईन आवेदन एवं संस्था चयन करने के पूर्व क्रमांकः **RULE-503/30/2025/ MED.** छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 **(विशेषकर आरक्षण / काउंसिलिंग प्रक्रिया / बॉण्ड इत्यादि)** का पूर्णतः अध्ययन कर ही ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ करें, जो की वेबसाइट *www.cgdme.in* एवं *https://cgdme.admissions. nic.in/* में उपलब्ध है।

नवीन ऑनलाईन आवेदन एवं संस्था चयन प्रक्रिया हेतु समय–सारिणी

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	ऑनलाईन आवेदन करने हेतु प्रारंभ एवं अंतिम तिथि	दिनांक 03 नवम्बर 2026, समय **Server Time 11:00 Hrs** (11:00 AM) से दिनांक 05 नवम्बर 2026, समय **Server Time 23:59 Hrs** (11:59 PM) तक
2	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग हेतु प्रारंभ एवं अंतिम तिथि (Choice Filling and Locking)	दिनांक 03 नवम्बर 2026, समय **Server Time 11:00 Hrs** (11:00 AM) से दिनांक 05 नवम्बर 2026, समय **Server Time 23:59 Hrs** (11:59 PM) तक

नोटः–

1. छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 के नियम 7(xv) के अनुसार **इस चरण में केवल पूर्व पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें पूर्व के किसी भी चरण में सीट आवंटित नहीं हुई है, तथा नवीन पंजीयन करने वाले पात्र अभ्यर्थी ही सम्मिलित हो सकेंगे।**

क्रमश––2––

2. पूर्व से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों को उपरोक्त उल्लेखित तिथि में संस्था चयन करना आवश्यक है चूंकि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चयन किये संस्था स्वतः शुन्य हो गये है, अर्थात संस्था चयन रिक्त हो गया है, अतः स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड की काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए पुनः संस्था चयन करना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी संस्था चयन नहीं करेंगे तो उन्हें स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड की काउंसिलिंग में सीट आवंटन नहीं किया जा सकेगा।

3. पूर्व में पंजीकृत वे अभ्यर्थी, जिन्होंने पहले केवल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का चयन किया था, यदि वे आगामी काउंसिलिंग में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का चयन करना चाहते हैं, तो उन्हें निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु निर्धारित पंजीयन राशि और पूर्व में जमा पंजीयन राशि के मध्य के अंतर की राशि का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। उक्त अतिरिक्त भुगतान के उपरांत ही अभ्यर्थी निजी चिकित्सा महाविद्यालय का चयन कर सकेंगे।

4 **स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड की काउंसिलिंग हेतु नवीन पंजीयन तथा पूर्व पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन आवेदन में संशोधन (Edit) करने की सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। किन्तु, ऑनलाईन आवेदन में ऐसी प्रविष्टियाँ (Entries), जो केन्द्र शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए परीक्षा परिणाम डाटा से सीधे प्राप्त होती हैं, तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्ट किया गया मोबाइल नंबर एवं ई–मेल पता अपरिवर्तनीय रहेंगे।**

5. स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड की काउंसिलिंग में सीट आवंटन के उपरांत यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है अथवा प्रवेश लेकर सीट का त्याग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई पंजीयन राशि राजसात (Forfeit) कर ली जाएगी। **(छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 का अध्ययन करें)**

अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संस्था चयन करते समय केवल उसी महाविद्यालय का चयन करें, जिसमें वे प्रवेश लेने के इच्छुक हों।

6. **स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के उपरांत सीटें रिक्त रहने पर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जारी मेरिट सूची तथा अभ्यर्थियों द्वारा किए गए संस्था चयन (Choice Filling) के आधार पर पुनः सीट आवंटन किया जा सकेगा।**

7. आगामी काउंसिलिंग की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाईट **www.cgdme.in** एवं एन.आई.सी. की वेबसाइट **https://cgdme.admissions.nic.in/** का नियमित अवलोकन करें।

8. काउंसिलिंग की समस्त प्रकिया (पंजीयन राशि भुगतान, संस्था तथा विषय चयन, च्वाईस लॉकिंग इत्यादि) अभ्यर्थी द्वारा स्वंय की जाती है, इसलिए अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रदाय करने की स्थिति में अगर अभ्यर्थी का पंजीयन अथवा आवंटन निरस्त किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल अभ्यर्थी की होगी एवं यह कार्यालय अथवा काउंसिलिंग समिति किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी।

क्रमश––3––

9. सभी शासकीय/निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों का आवंटन कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा किया जाता है, अतः किसी व्यक्ति/संस्था के प्रवेश दिलवाने संबंधित धोखे में नहीं फंसे।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

02/11/26

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा